Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 ◻ अंक- 2 ◻ रायपुर, शनिवार 24 जनवरी 2026 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

क्रेन से सामान हटाते वक्त मजदूर नीचे गिरा, मौत

दुर्ग, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। भिलाई के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिस्कोल कंपनी में काम के दौरान आज सुबह एक श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो गई. सूचना पर जामुल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, कंपनी में फर्स्ट शिफ्ट में काम करने आया गणेश नगर, वार्ड- 5, जामुल निवासी लेखु कौशल (34 वर्षीय) सुबद 6.30 के आस-पास हादसे का शिकार हुआ. बताया जा रहा है कि क्रेन से लोहे का सामान हटाते वक्त लेखु इंबैलेंस हो कर नीचे गिर गया, जिसके बाद भारी जॉब गिरने से उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई.

धान खरीदी घर बैठे पटवारी कर रहे थे टोकन सत्यापन, निलंबित

पखांजूर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धान खरीदी कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. पखांजूर एसडीएम (स्छ्रू) ने दो पटवारियों को, जो नोडल अधिकारी के रूप में तैनात थे, उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन अधिकारियों पर बिना मौके पर जाए और बिना भौतिक सत्यापन किए धान के टोकन का सत्यापन करने का गंभीर आरोप है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, धान खरीदी केंद्र चारगांव और उदनपुर में तैनात नोडल अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारी कोताही बरती. आरोप है कि इन पटवारियों ने खरीदी केंद्रों पर जाए बिना ही अन्य व्यक्तियों के माध्यम से गलत तरीके से धान टोकन का सत्यापन कर दिया. साथ ही, समिति में रखे पुराने बोरों के स्टॉक की फोटो अपलोड कर दी गई, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।

पैसों की खातिर अस्पताल में 5 दिनों तक बंधक रही आदिवासी प्रसूता

जिपं अध्यक्ष के दखल के बाद सुरक्षित घर लौटे जच्चा-बच्चा

गरियाबंद, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। भुँजिया जनजाति की 23 वर्षीय गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी के एवज में अस्पताल ने 20 हजार रुपए की मांग की. जब तक बेवा सास पैसों का प्रबंध करती, तब तक महिला को नवजात के साथ अस्पताल में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया. आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन से चर्चा के बाद जच्चा-बच्चा सकुशल घर पहुंचे. हम बात कर रहे हैं आदिवासी ब्लॉक मैनपुर के मूचबहल के मालिपारा वार्ड में रहने वाली भुँजिया जनजाति की 23 साल की नवीना चाँदा, जिसे प्रसव के बाद ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में पांच दिनों तक अघोषित रूप से बंधक बनाकर रखा गया था. प्रसूता की सास दोषो बाई ने बताया कि 18 तारीख को प्रसव पीड़ा के बाद उसे धर्मगढ़ स्थित मां भंडारणी क्लिनिक में भर्ती कराया, उसी दिन ही सामान्य प्रसव में पोती ने जन्म दिया.

भर्ती से पहले 5 हजार जमा किया गया था, लेकिन प्रसव के बाद अस्पताल प्रबंधन ने और 15 हजार रुपए की मांग की. पैसे पूरे देने के बाद ही बहू, 3 साल के पोते और नवजात को लाना संभव था. इसलिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए वह 21 जनवरी को गांव वापस आ गई. सास ने बताया कि बेटा पोड़ा आंध्र के ईंट भट्ठे में मजदूरी करता है. उसको भी फोन लगाया पर उसके सेठ भी पैसा नहीं दे रहे थे. बेटे के साथ रही बहू 6 माह के गर्भ के दौरान घर वापस आ गई थी. सास ने बताया कि कि पहला बच्चा तीन साल पहले धर्मगढ़ के उसी अस्पताल में ऑपरेशन से हुआ था. तब सोना-चांदी बेच कर 85 हजार दिया था. इस बार प्रसव पीड़ा के बाद स्थानीय अस्पताल को मैंने संपर्क नहीं किया, क्योंकि पिछली बार वे इंकार कर दिए थे. दोबारा बहू की स्थिति को देखते हुए गाड़ी किराया कर ओडिशा ले गई. लेकिन सामान्य ऑपरेशन के बाद भी इतनी रकम मांगी गई कि छह दिन इंतजाम नहीं हो पाया. जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर की मदद से जच्चा-बच्चा सकुशल घर पहुंचे.

2000 की आबादी वाले गांव में पोशो चाँदा का परिवार अकेला भुँजिया है. गांव के बीच बीच टूटे हुए मकान में सास बहु रहते हैं.रोजगार का अभाव था इसलिए बेटा आंध्र काम करने जाता है. गांव कलस्टर में शामिल नहीं इसलिए विशेष पिछड़े जनजाति योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिल रहा. पीएम आवास के तहत आवास मिला है, पर बना नहीं पा रहे हैं. बूढ़ी सास मजदूरी कर किसी तरह गुजारा कर रही है. परिवार के लिए मजदूरी ही अंतिम विकल्प था. जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने बताया कि लाचार सास दो दिन से पैसों की व्यवस्था में जुटी थी. कारण सुनते ही हैरानी हुई. लेकिन पहले अस्पताल में मौजूद जच्चा-बच्चा को सकुशल वापस लाना था.

सीनियर महिला कैडर के आत्मसमर्पण की चर्चा

जगदलपुर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। सुरक्षा बलों की लगातार दबाव वाली कार्रवाई के बीच माओवादी संगठन के भीतर एक बार फिर बड़ी बेचैनी के संकेत सामने आए हैं। ओडिशा से जुड़े माओवादी नेटवर्क में दरार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी क्रम में एक सीनियर महिला माओवादी कैडर के संभावित आत्मसमर्पण की खबरों ने संगठन में हलचल मचा दी है।

सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा में सक्रिय स्पेशल जोनल कमेटी स्तर की महिला माओवादी नीतू अपने कुछ साथियों के साथ जगदलपुर पहुंची है। बताया जा रहा है कि उसके साथ कुल चार माओवादी हैं, जिनमें एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर करीब 55 लाख रुपये का इनाम घोषित है। इनमें सबसे अहम नाम नीतू का बताया जा रहा है, जिस पर अकेले 40 लाख रुपये का इनाम है। नीतू का संबंध माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति से जुड़े गणेश उइके की टीम से रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने ही ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने गणेश उइके को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद संगठन के भीतर असंतोष और डर की स्थिति बनने की बात कही जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि चारों माओवादी फिलहाल सीआरपीएफ के एक सुरक्षित कैंप में मौजूद हैं। इस बीच उनकी एक तस्वीर सामने आने की चर्चा भी हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बस्तर में पहले भी कई बड़े कैडर के आत्मसमर्पण हो चुके हैं और अगर यह खबर सही साबित होती है, तो इसे माओवादी संगठन के लिए एक और बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल निगाहें आधिकारिक बयान पर टिकी हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम पर तस्वीर साफ कर सकता है।

दंतेश्वरी मंदिर में सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी, जनता के लिए दर्शन बंद

जगदलपुर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चोरों के हौंसले बुलंद है. इस बार चोरों ने प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया. मंदिर में देर रात बड़ी चोरी की वारदात हुई है. अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे के दरवाजे के ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और माता दंतेश्वरी के सोनेङ्कचांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया. लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी गई है. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं चोरों की आवाजाही के सुराग जुटाने के लिए शहर के अन्य सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. सीसीटीवी में चोर कैद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, जो टूटे ताले, दरवाजे और अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है।

होटल संचालक को अवैध हिरासत पर रखा पुलिस ने हाईकोर्ट ने सरकार को एक लाख मुआवजा देने दिया आदेश

बिलासपुर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध हिरासत और पुलिस की ज्यादती के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठ ने पीड़ित होटल संचालक को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। याचिकाकर्ता आकाश कुमार साहू दुर्ग जिले के भिलाई निवासी हैं। वे कोहका क्षेत्र में होटल का संचालन करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस बिना किसी कानूनी आधार के बार-बार होटल के कामकाज में दखल दे रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। याचिका के अनुसार सितंबर 2025 में पुलिसकर्मी मेहमानों की जांच के बहाने होटल पहुंचे। आरोप है कि नियमों का पालन किए बिना, महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में एक कमरे में प्रवेश किया गया।